# फर्द अहकाम

(नियम–26)

## अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

**विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भदेसर**

**बनाम**

**श्रीमति दुर्गा बाई पत्नि नारायण लाल धाकड़ निवासी पंचदेवला वगैरा**

**प्रकरण संख्या 04/2017 (नि.पं.)**

| तारीख हुक्म | *हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज* | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 19.03.25 | पत्रावली पेश हुई। विभागीय प्रतिनिधि बावजूद सूचना के आज भी अनुपस्थित। रूक–रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी उपस्थित नहीं। विभागीय प्रतिनिधि प्रकरण में दिनांक 25.08.2022 से अनुपस्थित चल रहे हैं। निगराकार/विकास अधिकारी, पं.स. भदेसर को इस न्यायालय के पत्रांक 441 दिनांक 25.08.2022 एवं 74 दिनांक 09.02.2024 से प्रकरण में किसी के द्वारा उपस्थिति नहीं देने से प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने तथा प्रकरण में उपस्थित नहीं होने से प्रतिकूल आदेश पारित होने की स्थिति में वे स्वयं उत्तरदायी होने के संबंध में लिखते हुए अवगत कराते हुए प्रभावी पैरवी करने हेतु निर्देशित किया फिर भी उनके द्वारा प्रकरण में उपस्थिति नहीं दी जा रही है तथा किसी प्रतिनिधि के द्वारा भी उपस्थिति नहीं दी जा रही है अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः अब प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। विकास अधिकारी इस संबंध में जवाबदेही तय करे। निर्णय की प्रति पालनार्थ मय अधीनस्थ के अभिलेख के विकास अधिकारी, पंचायत समिति भदेसर को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br>Web Copy - Not Official | |